

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग

पत्रांक-९/उपा०/बीज (विविध)-०८/२०१८

५४०

/कृ०, पटना,

दिनांक-१२-१०-२०१८

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार  
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

# अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

#द्वारा— वित्त विभाग।

विषय —

राज्य में बीजों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं चालू वितीय वर्ष २०१८-१९ में राज्य योजना से ७४३.१८ लाख(सात करोड़ तेंतालीस लाख अठारह हजार)रूपये की योजना के कार्यान्वयन एवं इसके अधीन ४८२.५० लाख (चार करोड़ बेरासी लाख पचास हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत |

राज्य में बीजों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं चालू वितीय वर्ष २०१८-१९ में राज्य योजना से ७४३.१८ लाख (सात करोड़ तेंतालीस लाख अठारह हजार) रूपये की योजना के कार्यान्वयन एवं इसके अधीन ४८२.५० लाख (चार करोड़ बेरासी लाख पचास हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति दी जाती है। अवशेष राशि २६०.६८ लाख (दो करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार) रूपये एजेन्सी अपने आय श्रोत से प्राप्त कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय करेगी।

स्वीकृत सहायक अनुदान की राशि ४८२.५० लाख (चार करोड़ बेरासी लाख पचास हजार) रूपये में से ३४९.६२ लाख (तीन करोड़ उनचास लाख बासठ हजार) रूपये सहायक अनुदान वेतन मद में एवं १३२.८८ लाख (एक करोड़ बतीस लाख अठासी हजार) रूपये सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. योजना का कार्यान्वयन वर्ष २०१८-१९ में किया जायेगा। राज्य में उत्पादित बीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए मानकता के अनुसार पहचान देने के लिए OECD (Organization of Economic Corporation & Development) के तहत प्रमाणिकरण हेतु देश के १० एजेंसियों में से बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना भी नामित प्राधिकार के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए ISTA के नॉर्मस पर भी गुणवत्ता संबंधित प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

Com1/D/ Sanshodhit sanction order

२५५५५

